

1. विकास एवं फैलते उग्रवाद (अतिवाद) के बीच संबंध (Linkages Between Development and Spread of Extremism)

विकास का अर्थ

विकास से तात्पर्य एक ऐसी बहुपक्षीय अवधारणा से है, जिसके तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के साथ-साथ शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर, समाज में महिलाओं की स्थिति, पोषण तथा आवास की उपलब्धता, वस्तुओं और सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाती है।

भारत में विकास

भारत एक विकासशील देश है, पिछले कुछ दशकों से भारत आर्थिक रूप से विकास कर रहा है लेकिन विकास के लाभों का असमान वितरण एक ऐसी सापेक्षिक वंचना के भाव को जन्म देता है जो वंचित एवं बहिष्कृत वर्गों में व्यवस्था की विश्वसनीयता को धूमिल कर देता है।

भारत में अनेक राज्य हैं तथा इन राज्यों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास में असमानताएं हैं। विभिन्न राज्यों में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा तथा आवास संबंधी समस्याएं व्याप्त हैं। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के कारण मांग एवं पूर्ति में अंतर ने समस्या को और जटिल बना दिया है। जिसके कारण लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं।

1990 के दशक में नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के माध्यम से नई आर्थिक विकास को पाने का लक्ष्य निर्धारित किया। लेकिन हमारी राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर नीतियों की जटिलता, लालफीताशाही तथा मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति से आधारभूत स्तर पर खासकर ग्रामीण, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में आम नागरिकों के शोषण का कई साधन (साहूकारी प्रथा) विद्यमान रहे हैं। अर्थात् यह कहा जा सकता है कि भारत में विकास समावेशी न होकर असंतुलित रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी एवं असमान विकास से उपजे सामाजिक-आर्थिक असंतुलन ने अलगाववाद एवं अलग व्यवस्था के पक्षधर लोगों को बढ़ावा दिया है जो उग्रवाद के रूप में सामने आया है।

उग्रवाद का अर्थ

उग्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो अपनी मांगों व विचारों को दूसरों पर (राज्य) जबरदस्ती थोपने का प्रयास करता है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे व्यक्ति या समूह जो लोकतंत्र की जगह एक ऐसी व्यवस्था का हिमायती हैं, जो सवैधानिक संस्थाओं/व्यवस्थाओं को न मानते हुए अपनी विचारधारा को मनवाने के लिए हिंसक गतिविधियों का प्रयोग कर अपनी वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, उग्रवादी कहलाते हैं।

उग्रवादी विचारधारा रखने वाला व्यक्ति या समुदाय राष्ट्र द्वारा स्थापित विचारधारा के विरुद्ध जाकर अपनी विचारधारा के माध्यम से शासन चलाना चाहता है। अर्थात् तानाशाही पूर्वक शासन चलाना चाहता है।

भारत में उग्रवाद के मूल तत्व या विशेषता

- उग्रवाद एक प्रकार का मानसिक रोग है जिसका मकसद जीवन का विनाश है।
- उग्रवाद का स्वरूप व प्रकृति सामान्यतः हिंसक होती है।
- उग्रवाद एक विश्वसनीय न्याय प्रणाली के अभाव और राजनीति की एक विश्वसनीय व सहभागिता मूलक प्रणाली के अभाव के फलस्वरूप उभरता है।
- उग्रवाद अपनी मानसिकता में सर्वाधिकारवादी (absolutist) होता है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेता है।
- उग्रवाद का स्वरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व नैतिक कुछ भी हो सकता है। यह असंतोष, कुंठा, हताशा, निराशा एवं अतार्किकता का परिणाम होता है।

भारत में उग्रवाद के प्रकार

वामपंथी उग्रवाद

आतंकवाद

साम्प्रदायिकतावाद

विद्रोही

विकास तथा वामपंथी उग्रवाद के बीच संबंध

विकास के अभाव का उग्रवाद के साथ सीधा एवं प्रत्यक्ष संबंध है, जहां विकास एक निश्चित वर्ग तक सीमित है वहीं उग्रवाद का जन्म होता है। वामपंथी उग्रवाद आज देश के कई क्षेत्रों में फैल गया है तथा इसका विस्तार क्रमिक रूप से लगातार जारी है। इसकी शुरुआत मुख्यतः पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में 1967 (किसान विद्रोह) से माना जाता है। नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ होने के कारण इसे नक्सलवादी आंदोलन कहा गया। यह आंदोलन धीरे-धीरे फैलकर आज 18 राज्यों में अपना पांव फैला चुकी है, जो आतंक के लाल गलियारे के रूप में जाना जाता है। यह खासकर पूर्वी राज्यों में हिंसक आक्रमणों के रूप में उभरकर सामने आया है।

नक्सलवादी आंदोलन मुख्यतः भौगोलिक रूप से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों व भिन्न राज्यों में व्याप्त कुशासन का परिणाम था, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में प्रशासनिक असंवेदनशीलता के साथ-साथ भारत के पड़ोसी देशों का सहयोग रहा है। पड़ोसी देशों से मिलने वाली आर्थिक व सामरिक सहायता के कारण यह भारत के अधिकांश राज्यों में अपना पांव पसार चुका है।

वर्ष 1969 में कन्होई चटर्जी (CPI मार्क्सवादी सदस्य) ने 'दक्षिण देश' नामक एक संगठन का गठन किया। 1968-69 में उग्रवाद वामपंथी तत्वों ने CPI (M) के भीतर ही अपने को ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज (AICCCR) के बैनर तले अपने आप को संगठित किया।

22 अप्रैल, 1969 को अंतर्राष्ट्रीय लेनिन दिवस के अवसर पर CPI (M) के भीतर का समूह AICCCR टूट गया और इसी के साथ चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI (ML) का गठन किया गया। दूसरी ओर AICCCR से अलग हुए तारीमाला नागी रेड्डी ने कमिटी ऑफ रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट का गठन किया। जो बाद में CPI (ML) का भाग बन गया।

20 अक्टूबर, 1969 को कन्होई चटर्जी का संगठन, दक्षिण देश समूह CPI (M) से अलग हो गया जिसका वजह था माओत्से तुंग की विचारधारा अपनाई जाये या मार्क्स का। 1980 में कोंडापल्ली सीतारमैया ने सेंट्रल ऑर्गनाइजिंग कमिटी CPI (ML) से अलग होकर CPI (ML), PWG (People War Group) का गठन आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में किया। एक उल्लेखनीय समझौते के तहत पीपुल्स वार ग्रुप (PWG) तथा भारतीय माओवादी साम्यवादी केन्द्र (MCC) ने मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (CPI माओवादी) का 2004 में गठन किया।

भारत सरकार ने गैर कानूनी निवारक कानून (1967) बनाकर सभी प्रकार के नक्सलवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है तथा इन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिर भी यह क्रमिक रूप से अपने विस्तार की क्रम में लगातार आगे बढ़ते हुए वर्तमान समय में देश के 18 राज्यों के कुल 218 जिलों में अपना पैर जमा चुके हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों की तुलना में 2012 में नक्सली हिंसा में कमी आई है। लेकिन वर्ष 2013 में नक्सली हिंसा का यह रूप हाल के वर्षों में राजनीतिक हिंसा के रूप में भी सामने आया है।

वामपंथी उग्रवादी का मानना है कि आज भी उन लोगों पर अत्याचार व शोषण हो रहा है, भारतीय समाज में आज भी उपनिवेशवादी, जमींदारी, जागीरदारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जो समाज में हाशिए पर लोगों का शोषण करते हैं। उनका मानना है कि वर्तमान समय में भी अर्द्धसामंती असंतुलित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है जिसके विरुद्ध लगातार गोरिला युद्ध पद्धति से संघर्ष जारी रखे हैं।

बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए अक्टूबर 2004 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने माओवादी समस्या को पहली बार 'गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौति' बताया तथा सक्रिय रूप से इससे निपटने पर ध्यान केन्द्रित किया। हाल के वर्षों में नक्सलियों ने ऐसे क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास तेज किया है जहां उनकी उपस्थिति नहीं है और जो उनके लिए नए हैं। जैसे कि उत्तराखंड के कुछ हिस्से तमिलनाडु के धर्मापुरी सलेम, कोयम्बेटर, मद्रास, थेनी, कर्नाटक में बेल्लारी, शिमोगा, उडुपी, चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़ एवं कोलार आदि।

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तथा राज्य

वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक रूप से प्रभावित राज्य निम्नानुसार रूप से है-

1. **बिहार**- बिहार में कुल 38 जिलों में से 31 जिले माओवाद से प्रभावित हैं। जिसका कारण है, बेरोजगारी, अल्प विकास, भूमि का असमान वितरण के साथ-साथ पिछड़े व दलितों के साथ अत्याचार तथा शोषण।
2. **पश्चिम बंगाल**- 1967 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन राज्य के कई जिलों में फैल चुका है।
3. **झारखंड**- झारखंड में कुल 24 जिलों में से 18 जिले माओवाद से प्रभावित हैं, इसके वृहत स्तर पर फैलने के कारणों में राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा यहां की समस्या पर पूर्ण ध्यान न देना है। 2001 से साकार ने आत्मसमर्पण करने वालों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया है।
4. **ओडिसा**- अन्य राज्यों के समान समस्याएं हैं, ओडिसा में व्याप्त है, जो माओवादी को बढ़ाने में सहायक है।
5. **छत्तीसगढ़**- भारत के सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रमुख स्थान है, इसके 15 जिले नक्सल प्रभावित हैं, यहां के दंडकारण्य के घने जंगलों की अगमनीयता के कारण यहां नक्सलवादियों के खिलाफ अभियान में कठिनाई आती है जिसका फायदा नक्सली को मिलता है। यहां इसके पनपने के मुख्य कारणों में उत्तरदायी शासन का अभाव, पहचान का संकट, भूमि सुधार कानून की असफलता, जनजातीय भूमि का अधिग्रहण, औद्योगिक विसंगतियां, पुर्नवास में त्रुटियां, गरीबी व अल्प विकास आदि हैं।
6. **आंध्र प्रदेश**- इसके तहत राज्य सीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों की अल्प विकसित दशा, भूमि का असमान वितरण आदि कारण रहे हैं।

उग्रवाद के कारण

किसी भी क्षेत्र में उग्रवाद के फैलने के लिए कुछ कारक जिम्मेदार होते हैं जैसे कि असंतुलित विकास, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता, मानवाधिकारों का हनन, प्रजातांत्रिक मूल्यों का अभाव आदि। जिसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं-

1. **असंतुलित विकास** - भारतीय आर्थिक क्षेत्रों यथा प्राथमिक (कृषि), द्वितीयक (उद्योग) तथा तृतीयक (सेवा) में पर्याप्त असंतुलन को देखा जा सकता है। कृषि क्षेत्र में भारत की आधी से अधिक श्रमसंख्या लगी है परन्तु उत्पादन में इसका योगदान 14% से भी कम है। सभी देशों में पहले कृषि क्षेत्र फिर उद्योग तथा अंत में सेवा क्षेत्र का विकास होता है परन्तु भारत में उद्योगों के पर्याप्त विकास से पहले ही सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो गई इससे आय में वृद्धि तो हुई परन्तु मांग बढ़ने तथा उत्पादन के रूके रहने से भारत को गंभीर मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा तथा सेवा क्षेत्र की अतिरिक्त आय इस मुद्रास्फीति के प्रभाव में नाकाम सिद्ध हुई।
2. **असफल भूमि सुधार**- सरकार द्वारा स्वतंत्रता पश्चात से ही भूमि सुधार के प्रयासों के बावजूद अभी तक जमींदार वर्ग के विरोध, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमजोरी तथा कमजोर कानूनी प्रावधानों के कारण ये प्रयास सीमित हो गए और इन प्रयासों का लाभ इसके असल हकदारों तक नहीं पहुंच पाया।
3. **बेरोजगारी**- सामान्यतया विकास से अच्छी गुणवत्ता के रोजगार का सृजन होता है। लोग औपचारिक क्षेत्र की बड़ी-बड़ी इकाइयों में नौकरी पाते हैं परन्तु भारतीय विकास अभी तक इस प्रकार के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाया है। भारत के जनसंख्या की लगभग 20 करोड़ आबादी 15-24 साल के आयुवर्ग की है जो एक कामकाजी वर्ग है परन्तु इनके शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए अभी तक एक व्यापक योजना निर्माण नहीं हो सका है।
4. **बुनियादी संरचनाओं का अभाव**- भारत के सभी क्षेत्रों में अधिकांश जन के लिए किसी न किसी बुनियादी संरचना का अभाव है। कहीं बिजली, कहीं पानी, कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं इत्यादि का अभाव बना रहता है। किसी भी जगह इन सभी सुविधाओं की एक साथ, उचित मूल्य उपलब्धता नहीं है। ये आधारभूत अभाव भारतीयों के जीवन को कष्टकारी बना रहे हैं।
5. **विषमताएं**- भारत में विकास के साथ विषमताएं भी तेजी के साथ बढ़ी हैं। आय की विषमता इन सब में प्रमुख है। भारत के सबसे धनी 10% लोगों के पास भारत की 53% संपत्ति है जबकि निचले 50% लोगों के पास मात्र 8% संपत्ति है। इसी प्रकार यहां शहरी-ग्रामीण विषमता, राज्य-राज्य विषमता, राज्य के अंतर्गत क्षेत्रीय विषमता आदि तेजी से बढ़ी हैं।


6. **समावेशी विकास का अभाव-** अन्य सेवा क्षेत्रों के साथ बैंकिंग का विकास भी भारत में तीव्र गति से हुआ है। परन्तु इसके बावजूद एक बहुत बड़ा वर्ग इन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है और इस वर्ग को इन सुविधाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये वर्ग कम आय वाला वर्ग है जिनकी आर्थिक स्थिरता पर सदैव खतरा मंडराता रहता है। इनकी पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक न हो पाने के कारण ये वर्ग अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए स्थानीय साहूकारों के ऋण जाल में फंसकर शोषित होने के लिए मजबूर होते हैं।
 7. **विस्थापन-** विकास कार्यों के लिए विस्थापन एक आवश्यकता हो सकती है परन्तु इसका इस्तेमाल अत्यंत सावधानी तथा संवेदनशीलता से किया जाना चाहिए। अब तक विकास कार्यों के लिए विस्थापन असंवेदनशील तथा मनमाने तरीकों से होता रहा है। विकास कार्यों से विस्थापितों में सबसे अधिक प्रभावित जनजातीय समुदाय रहा है। विस्थापन पश्चात उनके आजीविका, रहन-सहन तथा सांस्कृतिक संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा है जिससे इनमें गरीबी, भुखमरी, जैसी समस्याएं फैली है तथा इनमें असंतोष भी फैला है।
 8. **भ्रष्टाचार-** विकास के साथ भारत में भ्रष्टाचार अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है। भ्रष्टाचार के कारण विकास योजनाओं का जो लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंच पाया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को भ्रष्टाचार से शोषित महसूस कर रहा है तथा इस असंतोष की अभिव्यक्ति हाल के जन आंदोलनों में दिखी जिसमें लाखों लोगों ने सहभागिता की।
 9. **अपर्याप्त सामाजिक सुधार-** भारत में आर्थिक विकास पर तो ध्यान दिया गया सामाजिक विकास के लिए ठोस नीति के निर्माण की ओर ध्यान नहीं दिया गया। आज भी भारत में जाति व्यवस्था का इतना प्रभाव है कि जातिगत वैमनस्यता के कारण कई संघर्ष तथा नरसंहार होते रहते हैं। उच्च जाति के लोगों तथा दलितों के बीच के सामाजिक संबंध अभी भी कई जगहों पर वैसे ही हैं जैसे सैकड़ों साल पहले शोषण आधारित थे। इसके अलावा सांप्रदायिक वैमनस्य भी कम नहीं हो पाया है। राजनीतिक लाभ के लिए तो कभी-कभी इसे जानबूझ कर उभर जाता है। इस प्रकार आर्थिक विकास में निहित उपरोक्त असंतुलन ने भारत के वंचित वर्गों के असंतोष में तीव्र वृद्धि को संभव बनाया है। जिसकी परिणति उग्रवाद के विभिन्न स्वरूपों के रूप में अभिव्यक्त हुई है।
- उपर्युक्त कारणों को हम विश्लेषित करे तो हम पाते हैं कि आज विकास और उग्रवाद में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अतः यदि विकास अधिक होगा तो देश में सापेक्षिक वंचना दूर होगी जिसके कारण वंचित वर्ग मुख्यधारा में आएंगे और उग्रवाद जैसी विचारधारा नहीं पनपेगी। आज दुर्गम भौगोलिक संरचना के कारण दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत नागरिक विकास की प्रक्रिया से दूर रहते हैं क्योंकि हमारी प्रशासनिक और राजनैतिक इच्छाशक्ति भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार है जिसके कारण यहां के विकास से वंचित लोग, आदिवासी या जनजाति के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिवादिता का सहारा लेते हैं। ये लोग शिक्षा, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी की समस्या से जूझते रहते हैं और विकासात्मक योजनाओं से वंचित रहते हैं, साथ ही सरकार की विस्थापन व पुनर्वास नीतियों आदि ने मिलकर देश में नक्सलवाद जैसी उग्रवादी विचारधारा को जन्म दिया।

उग्रवाद को फैलाने में सहायक तत्व

1. **जल-जंगल-जमीन (सदियों पुराने आदिवासी- वन संबंधों में रुकावट):-** आदिवासियों का वन के साथ सदैव संबंध रहा है और यही उनका स्वाभाविक घर-संसार है। आधुनिक कानून तथा सरकारों ने विगत सदी के दौरान आदिवासियों के वन के साथ सदियों पुराने संबंध को बदल दिया। वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के साथ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अनेक विकास संबंधी गतिविधियों, जैसे-खनन, विद्युत परियोजना तथा औद्योगिकीकरण ने आदिवासियों को उनकी मूलभूत जीवनयापन की सुविधा से वंचित कर दिया है। इसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार आदिवासियों के पराम्परागत अधिकारों को कम कर दिया गया जिससे अब वे अपने जीवन यापन के लिए वन के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। अब उनके पास न तो मूलभूत सुविधाएँ हैं और न ही विकास के कारण उन्हें कोई आर्थिक लाभ मिला है जिससे वे गरीबी से छुटकारा पा सके। इससे आदिवासियों के बीच एक गंभीर आक्रोश तथा पिछड़ेपन की भावना पैदा हुई है। इसलिए वे उग्रवाद समर्थकों द्वारा की जा रही गतिविधियों का मोहरा बन जाते हैं। अतः आदिवासियों को खनन तथा औद्योगिक विकास से मिले लाभ में भागीदार बनाया जाना चाहिए।

इस प्रकार उग्रवादियों के लिए आदिवासियों की आबादी से भरा क्षेत्र आसान लक्ष्य है। कुप्रशासन तथा सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से भी आदिवासियों को उग्रवाद आन्दोलन का हिस्सा बनाना आसान हो गया है।

2. **आर्थिक मामले:** गरीबी, बेरोजगारी तथा शिक्षा के अभाव को उग्रवाद का मूलभूत कारण माना जाता रहा है। गरीबी एवं बेरोजगारी, निराशा एवं हताशा को जन्म देता है। नौजवानों में बेरोजगारी उग्रवाद की ओर उन्मुख करती है। आधुनिक युग में आतंकवाद या उग्रवाद का जन्म स्थल अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान आदि विश्व में सबसे गरीब तथा भ्रष्ट देशों में गिने जाते हैं। इन देशों के नौजवानों को हथियार उठाने के लिए आसानी से गुमराह किया जा सकता है।



3. **सामाजिक:** सामाजिक असमानता, मानवाधिकारों का हनन, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन पर आघात भी उग्रवाद के निर्णायक कारणों में से एक है।
4. **राजनीतिक:** ऐसी जगह जहाँ मानवाधिकार तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का अभाव है, असंतुष्ट दल हिंसा की ओर प्रेरित हो जाते हैं। नागरिक स्वतंत्रता तथा राजनीतिक अधिकारों के ऊपर कड़े कानून से पाबंदी उग्रवाद को बढ़ावा देती है। ऐसे नियम एवं तंत्र जिसमें आम व्यक्ति तथा समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेकर सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। इन्हीं कारणों से उग्रवादी दलों द्वारा शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को भ्रमित कर अपनी विचारधारा की ओर आकर्षित किया जा रहा है।
5. **सुशासन का अभाव:** सुशासन से तात्पर्य है:- विधि का शासन, पारदर्शिता, समानता, समग्रता, प्रभावी दक्षता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, भागीदारी इत्यादि। ये सारे तत्व शासन में होने चाहिए।

कमजोर सरकारी तंत्र का उपयोग उग्रवादी अपने सुरक्षित किले के रूप में करते हैं। सरकार के द्वारा उत्तर-पूर्व तथा दंडकारण्य क्षेत्र के आदिवासियों की समस्याओं की अनदेखी की गई। ऐसा समाज जो सुशासन के सिद्धांतों का आदर नहीं करता उसके लिए दीर्घकालिक विकास कठिन होता है। दीर्घकालिक विकास के लिए सुशासन आवश्यक है जिससे संघर्ष एवं आतंकवाद को यदि रोका ना जा सके तो भी इनका निपटारा करना आसान होता है।

6. **त्रि-संगम सिद्धांत-** इस सिद्धांत के अनुसार ऐसे क्षेत्र जहाँ तीन राज्यों की सीमाओं का संगम है, वहाँ पर शासन का अभाव है। इस क्षेत्र में यातायात, संचार नेटवर्क तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, जिसका फायदा उग्रवादी उठाते हैं। यहाँ उग्रवादियों के लिए सबसे लाभप्रद स्थिति यह है कि पुलिस व्यवस्था अपने राज्य की सीमाओं तक प्रतिबंधित होती है इसलिए उग्रवादी एक राज्य में आतंक की कार्रवाई के बाद दूसरे राज्य में शरण ले लेते हैं। दंडकारण्य जो देश के अंदर माओवादी से सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र है, इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है।

इसी तरह की समस्याओं से अलगाववाद जैसी भावनाएं पनपने लगती हैं जो उग्रवाद की अगली पीढ़ी है। अगर हम वामपंथी उग्रवाद अलगाववादी उग्रवाद व धार्मिक उग्रवाद, आदि के मूल में जाएं तो हम पाते हैं कि इनका समाधान कहीं न कहीं विकास के गर्भ में छिपा है। अगर सरकार इन वंचित वर्गों हेतु समुचित शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था करती तो आज देश में आंतरिक सुरक्षा को लेकर कई मोर्चों पर चिंतित नहीं होना पड़ता। यही नहीं आतंकवाद भी विकास से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि आज आतंकवादी स्वयं को समाज के विकास की मुख्यधारा से अपने आप को वंचित पाते हैं जिसका लाभ अतिवादी लोग उठाते हैं और ब्रेनवाश कर इन लोगों को अपना हथियार बनाते हैं।

उग्रवाद को कम या समाप्त करने में सहायक तत्व

1. **सामाजिक-आर्थिक विकास-** समाज के नीचे तबके के हाशिए पर मौजूद लोगों का सामाजिक व आर्थिक विकास कर उसे राष्ट्र के मुख्य धारा से जोड़कर इस उग्रवाद समस्या से निजात पाई जा सकती है। जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए पारदर्शिता व प्रभावी रूप से चलाना होगा।

योजना आयोग द्वारा 82 आदिवासी और पिछड़े जिलों के तेजी से विकास के लिए एकीकृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य प्रभावित तथा उनके निकटवर्ती जिलों में लोक संरचना और सेवा प्रदान करना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन क्षेत्रों के विकास के लिए उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 5477 किमी. सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

2. **स्थानीय समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करना-** नीतियों के निर्माण वहां के समुदाय के नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद बनाई जानी चाहिए। जिससे उनको लगे कि हम लोगों के हितों का ध्यान रखा जा रहा है।

ऐसी वितरण प्रणाली की व्यवस्था बनाना चाहिए जिससे निस्पक्षता एवं समुचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित हो।

3. **शासन व्यवस्था में सुधार-** केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं/अधिनियम लाए गए जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विभिन्न राज्यों में लागू की गई ई-गवर्नेंस प्रणाली कारगर साबित हुई है। जिसके प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है।

4. **सुरक्षा-** नक्सलवाद से सुरक्षा संबंधी उपायों में विभिन्न राज्यों में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है साथ ही राज्य पुलिस बलों को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित व सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा नक्सलवादियों के समर्पण एवं पुर्नवास नीति के अनुरूप आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी कैडरों के लिए विशेष कोष सामुदायिक पुलिस व्यवस्था तथा ग्राम रक्षा समितियों की भी व्यवस्था की गई है। अन्य उपायों में केन्द्र सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुरक्षित पुलिस स्टेशन तथा विशेष अवसंरचना संबंधी योजनाओं जिसमें अगम्य क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों का पुर्ननिर्माण व उन्नयन तथा हेलिपैडों का निर्माण शामिल है।

5. **सिविल एक्शन प्रोग्राम-** इस कार्यक्रम के तहत प्रभावित राज्यों में असैन्य कार्रवाई के संपादन हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल को वित्तीय अनुदान जारी किया जाता है। यह कार्यक्रम काफी हद तक प्रभावित क्षेत्रों की स्थानीय जनसंख्या और सुरक्षा बलों के मध्य खाई को भरने में सहायक रहा है।

6. **नक्सल प्रभावित जिलों में 'रोशनी' नामक योजना-** वर्ष 2013 में ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा देश में वामपंथी उग्रवाद से 24 अति प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिये 'रोशनी' नामक एक नई कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर, उन्हें दक्ष बनाकर 50 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत झारखंड व ओडिशा प्रत्येक से 6 जिले, छत्तीसगढ़ से 5

जिले, बिहार से 2 और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में प्रत्येक से एक जिले का चयन किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में योजना के क्रियान्वयन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। इस योजना में केन्द्र व राज्य की वित्तीय भागीदारी की अनुपात 75:25 होगा। इस योजना के तहत 18-35 आयु वर्ग के लोगों को रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा। निर्धनों की सहभागितामूलक पहचान (Participatory Identification of Poor) के आधार पर जरूरतमंदों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

7. **ग्रेहाउंड फोर्स-** ग्रेहाउंड फोर्स का गठन वामपंथी उग्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिये वर्ष 1989 में आंध्र प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के.एस. व्यास के प्रयत्नों से हुआ। माओवादी विद्रोह (Maoist Insurgency) से निपटने में आंध्र प्रदेश का प्रयास सराहनीय रहा है और इसके ग्रेहाउंड मॉडल को देश भर के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विस्तारित करने की सिफारिशों की जाने लगी है। ग्रेहाउंड्स बल में 3000 सुरक्षाकर्मी हैं जिनको दिया जाने वाला प्रशिक्षण लगभग एनएसजी (NSG) के समान है। राज्य में प्रत्यक्ष रूप से भर्ती अधिकारियों (असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से लेकर आईपीएस प्रोबेशनर्स तक) को ग्रेहाउंड प्रशिक्षण दिया जाता है। वे तीन साल तक सेवा देने के बाद डिस्ट्रिक्ट गार्ड में नियुक्त किये जाते हैं। इससे आंध्र प्रदेश में पुलिस बल की संघर्ष क्षमताओं का विस्तार हुआ है।

आंध्र मॉडल (ग्रेहाउंड्स) की एक अन्य विशेष बात यह है कि राज्य के प्रत्येक जिले में नौजवान अधिकारियों व व्यक्तियों का एक विशेष बल बनाया गया है। राज्य में भवनों, सुरक्षात्मक दीवारों, गार्डिंग, प्रकाश की व्यवस्था, हथियार और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कार्यबल की स्थिति देश में अद्वितीय है। आंध्र प्रदेश में हथियारों के आधुनिकीकरण, संचार, परिवहन, प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिये समर्थनकारी तकनीकी के विकास में भारी निवेश किया गया है। आसूचना क्षमताओं (Intelligence Capacities) को प्रत्येक स्तर पर सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा माओवादी नेताओं के उन्मूलन अथवा गिरफ्तारी पर नकद पुरस्कार देने की योजना भी राज्य में जारी है। इस प्रकार वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद से निपटने में आंध्र प्रदेश का ग्रेहाउंड्स मॉडल एक स्वीकृत प्रतिमान बन चुका है।

8. **कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन अथवा कोबरा बटालियन-** कोबरा बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की एक विशेषीकृत इकाई है जिसका गठन सितम्बर, 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये खतरा बन चुके नक्सलवादी आंदोलन से निपटना था। यह विशेषीकृत इकाई सीआरपीएफ की ऐसी इकाइयों में से एक है जो विशेष रूप से गोरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित है। वर्तमान में 10 कोबरा बटालियन यूनिट कार्यरत हैं। वर्ष 2009 में गृह मंत्रालय ने नक्सलवादियों से निपटने के लिये 10 कोबरा बटालियन यूनिट हेतु स्वीकृति प्रदान की थी। कोबरा बटालियन के सुरक्षा कर्मियों को मिजोरम स्थित काउंटर एंटरप्राइज एंड जंगल वारफेयर स्कूल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिलचर स्थित आतंकवाद रोधी स्कूल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
9. **वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिये 'सड़क आवश्यकता योजना'-** इस योजना के पहले चरण को फरवरी, 2009 में मंजूरी दी गई थी। 8 राज्यों के 34 जिलों में सड़क संपर्कों में सुधार के लिये यह योजना चलाई गई।

आदिवासी आबादी के लिए सवैधानिक तथा वैधानिक सुरक्षा

इससे संबंधित प्रावधान नीचे दिए जा रहे हैं:-

1. **संविधान की 5वीं अनुसूची:-** इसके अन्तर्गत यह बतलाया गया है कि देश के अनुसूचित भाग जहाँ आरक्षित वन में अनुसूचित जनजाती प्रवास करती है, ऐसे क्षेत्र को राज्य के राज्यपाल द्वारा संगठित ऐसी जनजाति सलाहकार समिति, जिसमें अनुसूचित भाग या उस खास आरक्षित वन समुदाय के सदस्य शामिल है, द्वारा प्रशासित किया जाएगा। ऐसा भारत में न हो सका अपितु खनन के लिए वनों को पट्टे पर दे दिया गया है जिससे जनजाति समुदायों को अपने घर का त्याग करना पड़ा।
2. **संविधान की नौवीं अनुसूची:-** इसके अन्तर्गत जो प्रावधान है उसके अनुसार ऐसी खेती लायक जमीन जिस पर हजारों वर्ष से उच्च जाति का कब्जा है, को सरकार द्वारा वापस लेकर भारत के भूमिहीन लोगों को वितरित कर दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि भूमि राजस्व, राज्य का विषय है इस कारण इस संबंध में राज्यों को भूमि सीमा कानून

बनाकर जमींदारों से जमीन हासिल कर भूमिहीन किसानों जो सदियों से जमीनदारों के खेतों में काम करते आए हैं को वितरण करना था। दुर्भाग्यवश इस संबंध में तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर, पं. बंगाल तथा केरल ने ही 1955 तक इस सवैधानिक व्यवस्था पर भूमि सीमा कानून बनाकर इसे लागू किया था। प. बंगाल में जोतदारों, जमींदारों ने सरकार तथा भूमिहीन किसानों को, भूमि संबंधी कागजातों में हेराफेरी कर ठगने का प्रयास किया।

जिसके फलस्वरूप नक्सलवाड़ी गाँव में CPI (CPI-ML) के नेतृत्व में एक विद्रोह की शुरुआत हुई। केरल में गैर-पहाड़ी जिलों में भूमि सीमा कानून को सफलता पूर्वक लागू किया गया जिससे माओवादियों को वहाँ आंदोलन करने में सफलता नहीं मिली।

3. **पेसा (Panchayats Extension to Scheduled Areas) अधिनियम 1996:** राजनीतिक रूप से यह अधिनियम आदिवासी समुदाय को प्रशासन में सशक्त अधिकार प्रदान करता है तथा स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों पर इस समुदाय को परम्परागत अधिकार को मानता है। यह अधिनियम न केवल आदिवासी समुदाय के रीति-रिवाज, सामाजिक तथा धार्मिक व्यवहार और सामुदायिक स्रोतों का परम्परागत प्रबंधन स्वीकार करता है, बल्कि राज्य सरकारों को इस व्यवस्था के प्रतिकूल नियम न बनाने हेतु भी निर्देश देता है। यह अधिनियम स्थानीय “ग्राम सभा” को विस्तृत अधिकार प्रदान करता है जिससे देश के विधि निर्माताओं द्वारा आज तक उन्हें वंचित रखा गया था।

वास्तविक स्थिति इससे भिन्न है, जिसमें पेसा को एक कागजी शेर बना दिया गया है, इसके दो प्रमुख कारण हैं:-

1. आदिवासी समुदाय के प्रति सरकारी तंत्रों का तिरस्कारपूर्ण रवैया।
2. राज्य सरकार के कई कानून जो पेसा अधिनियम के विरुद्ध हैं।

यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए इस प्रकार की समान विधि व्यवस्था नहीं है।

इस स्थिति का फायदा उठाते हुए राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में खनन एवं उद्योग के लिए तत्काल अनुमति दे रही है। यह कार्य करने की प्रक्रिया बहुत ही साधारण है-पेसा- के प्रावधानों जो किसी योजना के लिए ग्रामीण समिति से सहमति लेना अनिवार्य बनाता है, को नकारने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण पंचायत को शहरी पंचायत में परिवर्तित कर दिया जाता है।

विगत कुछ वर्षों के दौरान सैकड़ों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायतों को, जिसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है को शहरी स्थानीय क्षेत्रों का दर्जा दे दिया गया है तथा इन परिवर्तित क्षेत्रों में कई बड़े औद्योगिक निवेश की योजना है।

4. **वन अधिकार अधिनियम, 2006:** इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत रूप से रहने वाले समुदायों के जो कई पीढ़ियों से वन में रहते आ रहे हैं, परन्तु उनके अधिकार को स्वीकार नहीं किया गया था परन्तु इस अधिनियम के बाद वन में रहने के अधिकार को अधिकृत माना गया है। यह अधिनियम जीवनयापन के लिए वनों के ऊपर निर्भर समुदायों के भूमि अधिकार को सुरक्षित कर उनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इस नियम के बनने से पहले ऐसे लगभग 40 लाख आदिवासियों को अपनी भूमि के ऊपर कानूनी अधिकार नहीं था।

इस अधिनियम को प्रभावशाली रूप से लागू करने में कुछ प्रमुख अड़चने हैं:- अधिकांश दावों को अस्वीकार करना, खास साक्ष्य की माँग दावों को अस्वीकार कर सूचना नहीं भेजना तथा अपर्याप्त जानकारी।

5. **अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार विरोधी अधिनियम 1989:** 30 जनवरी 1990 को इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार को रोकना, ऐसे अपराधों के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था करना, पीड़ितों की मदद देना तथा उनका पुनर्वास करना तथा इससे संबंधित विषयों का निपटारा करना था।

6. **नए भूमि अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास अधिनियम 2013 में उचित पारदर्शिता और मुआवजे का हक):** इस अधिनियम में भारत में रहने वाले प्रभावित लोगों को मुआवजा देना और उनका पुनर्वास शामिल है। इसके अनुसार जिस व्यक्ति से भूमि अधिग्रहण की जाती है उन्हें उचित मुआवजा देने का उद्योग या मकान या अन्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु बनी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया, में पारदर्शिता लाना तथा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करने का प्रावधान है।

नागरिक-व्यक्तिगत साझेदारी योजना द्वारा विस्तृत तौर पर औद्योगिकीकरण की योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु बनाए गए नियमों को यह अधिनियम बल प्रदान करता है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015

26 जनवरी, 2016 से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 लागू हो गया।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा द्वारा 4 अगस्त, 2015 तथा राज्यसभा द्वारा 21 दिसंबर, 2015 को पारित करने के बाद 31 दिसंबर, 2015 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। 1 जनवरी, 2016 को इसे भारत के असाधारण गजट में अधिसूचित किया गया। नियम बनाए जाने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी, 2016 से लागू किया गया।

प्रमुख विशेषताएं

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किये जाने वाले नए अपराधों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सिर और मूंछ के बालों का मुंडन कराने और इसी तरह अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के सम्मान के विरुद्ध किये गए कृत्य शामिल हैं।
2. अत्याचारों में समुदाय के लोगों को जूते की माला पहनाना, उन्हें सिंचाई सुविधाओं तक जाने से रोकना या वन अधिकारों से वंचित रखना मानव और पशु नरकंकाल को निपटाने और लाने ले जाने के लिये बाध्य करना, सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उपयोग और अनुमति देना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को वस्त्रहरण कर आहत करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये किसी सदस्य को घर, गांव और आवास छोड़ने के लिए बाध्य करना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पूजनीय वस्तुओं को विरूपित करना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध यौन-दुर्व्यवहार करना, यौन-दुर्व्यवहार भाव से उन्हें छूना और भाषा का उपयोग करना शामिल हैं।
3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को आहत करने, उन्हें दुःखद रूप से आहत करने धमकाने और अपहरण करने जैसे अपराधों को जिसमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है। उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम में अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अभी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किये गये अत्याचार मामलों में दस वर्ष और उससे अधिक की सजा वाले अपराधों को ही अपराध माना जाता है।
4. मामलों को तेजी से निपटाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों में विशेष रूप से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाना और विशेष लोक अभियोजक को निर्दिष्ट करना।
5. विशेष अदालतों को अपराध का प्रत्यक्ष संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना और जहां तक संभव हो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से दो महीने के अंदर सुनवाई पूरी करना।
6. पीड़ितों तथा गवाहों के अधिकारों पर अतिरिक्त अध्याय शामिल करना आदि। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जाति जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन कानून 2016 को 14 अप्रैल 2016 को बाबासाहेब भीम राव अंबेडकर की जयंती पर अधिसूचित किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में संसद द्वारा 2016 में कुछ सुधार किये गए थे इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से उनकी सुरक्षा के लिए नियमों को और अधिक प्रभावी किया गया है।

अधिनियम 2016 के कुछ प्रावधान निम्न है-

- इस संशोधन में 60 दिनों में जांच पूरी करके चार्जशीट फाइल करनी होगी।
- बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए पहली बार राहत का प्रावधान किया गया है।
- यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शील का अपमान करने का इशारे से इशारे या कृत्य या महिलाओं, छिपकर देखना अथवा पिछा करने जैसे गैर आक्रामक अपराध मामलों में मुआवजा प्राप्त करने के लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होगी।
- गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं को स्वीकार्य राहत राशि का प्रावधान ट्रायल के खत्म होने पर भले ही मामले में किसी को दोषी न ठहराया गया हो।
- अपराध की प्रकृति के आधार पर राहत राशि को 75000 से 750000 रुपये से बढ़ाकर 85000 से 825000 रुपये के बीच कर दिया गया है, वहीं औद्योगिक श्रमिकों के लिए जनवरी, 2016 के लिए इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया।
- कैश अथवा किसी भी प्रकार की राहत को अत्याचार से पीड़ित, उसके परिवार के सदस्यों और आश्रितों को सात दिनों के भीतर देय राहत का प्रावधान किया गया है।
- अत्याचार के विभिन्न अपराधों के लिए पीड़ितों को राहत राशि के भुगतान को तर्कसंगत बनाना है।

क्या किया जाना चाहिए

हमारा उद्देश्य अत्यंत गरीबी एवं बढ़ती बेरोजगारी को समाप्त कर वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना है। वैश्विक आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने हेतु विकास का उद्देश्य गरीबी को दूर करना, एकीकृत समाज को बढ़ावा देना तथा सामाजिक न्याय देने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

1. सामुदायिक विकास, कुशासन, सेवा प्रदान करना, मानवाधिकार, आदि विषयों पर जोर दिया जाना चाहिए।
2. संघर्ष प्रभावित समुदायों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना।
3. सुरक्षात्मक विधियों का प्रभावशाली अनुपालन
4. लगातार बातचीत
5. आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा
6. ऐसे इलाकों में निवेश को बढ़ाने हेतु कर में छूट देकर रोजगार अवसरों को बढ़ाना।
7. सामाजिक सुरक्षा तथा जीवन-यापन सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
8. शिक्षा एवं खाद्य सुरक्षा
9. उग्रवादियों के साथ सार्थक बातचीत
10. श्रम कानून का प्रभावशाली अनुपालन तथा न्यूनतम मजदूरी को सुनिश्चित करना।

देश के उत्तर-पूर्व में उग्रवाद

भारत के समस्त उत्तर-पूर्व क्षेत्र में से भी अधिक विभिन्न आदिवासी तथा धार्मिक विविधता मौजूद है जो अपनी-अपनी भाषाओं और रीति-रिवाजों के साथ समृद्ध एवं विस्तृत सांस्कृतिक धरोहर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के इन आदिवासियों का अन्य भारत के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सांस्कृतिक सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक या व्यवसायिक संबंध न के बराबर था। बाहर के लोगों को इन आदिवासी। कबाइली क्षेत्रों में जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी।

ब्रिटिश शासनकाल के दौरान स्थानीय तौर पर यह बहुसंख्यक थे। जहां पर इनकी जनजाति के अलावा अन्य लोगों की संख्या कुछ खास नहीं थी। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को सोची-समझी नीति के तहत अन्य भारत से इस क्षेत्र को दूर रखा और ईसाई मिशनरियों को इस क्षेत्र में स्कूल, चिकित्सालय तथा चर्च बनाने के लिए सदैव प्रोत्साहित किया। जिससे आदिवासी नवयुवकों में आधुनिक विचारों को अपनाने के लिए बल मिला। इस नीति का परिणाम यह निकला कि यह क्षेत्र असम तथा देश की आबादी से अलग-थलग रहा।

यहां संघर्ष के कई स्वरूप हैं जैसे कि विदेशियों तथा अप्रवासियों के प्रति आंदोलन, स्वायत्तता की मांग, जातीय एकीकरण तथा कथित रूप से थोपी गई भारतीयता का विरोध आदि।

उत्तर-पूर्व में उग्रवाद के प्रमुख कारकों में बांग्लोदश से होने वाली घुसपैठ तथा उनके सीमा-पार प्रवास साथ ही असम या उत्तर-पूर्व के राज्यों में बस जाना भी शामिल रहा है। अप्रवासियों का आगमन आर्थिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक तनाव को उत्पन्न करता है जो हिंसा का प्रमुख कारण बनता है। अपनी क्षेत्र व कार्यों में दखल से लोग असुरक्षा महसूस करता है खासकर नागा लोगों में यह भावना प्रबल रूप से विद्यमान है कि हम लोग पृथक व अलग हैं तथा उनका किसी समुदाय से सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक संबंध नहीं है। NSCN (IM) आज के समय में भी अपनी आजादी के लिए राजनीतिक रूप से सक्रिय है, हालांकि कुछ समयों से नागा लोगों के रुख में अब पहले की अपेक्षा काफी हद तक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज के आधुनिक समय में ये लोग समाज के मुख्य धारा से धीरे-धीरे जुड़ रहा है तथा अपनी विकास के साथ विकासात्मक कार्यों में सहयोगपूर्ण रवैया अपनाया है।

धार्मिक, जातीय एवं नृजातीय संघर्ष

भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है जहां बहुजातीय बहुधार्मिक एवं बहुभाषी लोगों का निवास स्थान है आजादी के समय से वर्तमान समय तक देश में अनेक प्रकार के जातीय, नृजातीय साथ ही साम्प्रदायिक भाषायी, आधारों पर संघर्ष देखे गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ संघर्ष उपद्रवी तत्वों ने शासन के खिलाफ शुरू किए तो कुछ ने अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण, जो अपनी जड़े समाज में असंतोष को बढ़ावा देकर खोजते हैं।